

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 136] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 1980/खं० 18, 1902  
No. 136] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 1980/CHAITRA 18, 1902

---

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

मंत्रिमंडल सचिवालय

अभिज्ञान

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1980

का. आ. 243(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंधन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंधन) (एक सौ चालीसवां संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आर्बटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत—

- (1) प्रविष्टि 41 च का लोप कर दिया जाए ; और
- (2) प्रविष्टि 125 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

“126. आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण (असम) अध्यादेश, 1980” ।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 74/3/10/80-मंत्र.]

के. सहगल, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल

### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1980

**S.O. 243(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1.(1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fortieth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”—

- (i) the entry 41F shall be omitted; and
- (ii) after entry 125, the following entry shall be inserted, namely :—

“126. The Essential Services Maintenance (Assam) Ordinance, 1980”.

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/3/10/80-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy. to the Cabinet.